पूरे वाद के अन्तिम डिक्री
मुकदमे की [illegible]
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्य.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 453 / 2023
वाद पत्र अं. धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

गुरदर्शन सिह उर्फ दर्शन सिह पुत्र श्री गुरदयाल सिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

बनाम

1. जसविन्द्र सिह पुत्र स्व.मलकीत सिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. दलजिन्द्र सिह पुत्र स्व. मलकीत सिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. उप पंजीयक पंजियन एवं मुद्रांक विभाग संगरिया।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनाक – 17.4.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप संरा वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री________वकील प्रतिवादी______मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:–

नाम काश्तकार मय वल्दियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार काश्तकार का नाम मय रकबा	अन्तर का विवरण			अन्तर का कारण
			राजस्व रिकॉर्ड अनुसार	कब्जा काश्त अनुसार	कमी / बेशी	
जसविन्द्र सिह, दलजिन्द्र सिह पि. मलकीत सिह बहिब राहिनान ओबीसी शाखा धोलीपाल जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान	प.म. मोरजण्ड सिखान के चक 10 एमजेडी का खाता संख्या 79 / 54 खाते का योग 1. 720 हेक्ट. (उक्त खाता विवादित श्रेणी का नही है)	जसविन्द्र सिह दलजिन्द्र सिह पि. मलकीत सिह बहिब राहिनान ओबीसी शाखा धोलीपाल जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान प.न. 143 / 185 मु.न. 61 का किला नम्बर 7 / 2 / 0.126, प.न. 144 / 185 मु.न. 62 का किला नं. 1,2,3,8,9,10 / 1.518 कुल 1.644 हेक्ट.	1.720	1.644	–0.076	–
		गुरदर्शन सिह उर्फ दर्शन सिह पुत्र गुरदयाल सिह जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान प.न. 143 / 185 मु. न. 61 का कि.न. 15 / 1 / 0.057, 15 / 2 / 0.019 गै.मु.रास्ता कुल 0. 076 हैक्ट.	राजस्व रिकॉर्ड मे नाम नही			
जसविन्द्र सिह, दलजिन्द्र सिह पि. मलकीत सिह बहिब 1/3 हि. दर्शन सिह पुत्र गुरदयाल सिह 2/3 हि. जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिक्खान	प.म. मोरजण्ड सिखान के चक 10 एमजेडी का खाता सख्या 76 / 57 खाते का योग 0. 506 हेक्ट. (उक्त खाता विवादित श्रेणी का नही है)	गुरदर्शन सिह उर्फ दर्शन सिह पुत्र गुरदयाल सिह जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान प.न. 145 / 183 मु न. 51 का कि.न. 22,23 / 0.506 हैक्ट				
राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चक 10 एमजेडी के खाता संख्या 79 / 54 खाते का योग 1.720 हेक्ट. व इसी चक के खाता सं. 76 / 57 खाते का योग 0.506 हेक्ट. दोनो खातो का योग 2.226 हेक्ट.		कब्जा काश्त अनुसार चक 10 एमजेडी के खाता सख्या 79 / 54 खाते का योग 1.720 हेक्ट व इसी चक के खाता सख्या 76 / 57 खाते का योग 0.506 हेक्ट. दोनों खातो का योग 2.226 हेक्ट				

1.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी

नोट :– चक 10 एमजेडी के वर्तमान खाता संख्या 79/54 में प.न. 143/185 मु.न. 61 का 15/1/0.057 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। लेकिन गत जमाबन्दी सम्वत 2070–73 (दिनांक 12.04.2019) के खाता सं. 60/54 में प.न. 143/185 मु.न. 61 का कि.नं. 15/0.228 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था। परन्तु न्यायालय आदेश का नामान्तकरण सं. 623 दिनांक 08.03.2019 द्वारा सुखपाल सिंह पुत्र करनैल सिह को प.न. 143/185 मु.न. 61 का किला नं. 15/0.057 प्राप्त हुआ तथा शेष खाता बदस्तुर लिख्या गया लेकिन –21 ग का प्रिन्ट में सुखपाल सिह को तो 15/2/0.057 हेक्ट. सही दिया गया लेकिन जसविन्द्र सिह दलजिन्द्र सिह पि.मलकीत सिह को किला नं. 15 का शेष 0.171 हैक्ट. के स्थान पर सहवन से 0.057 दे दिया गया जिसे कि उक्त किला का रकबा कम हो गया जिसे 15/1/0.171 है.सही किया जाना उचित है। एवं गुरदर्शन सिह उर्फ दर्शन सिह पुत्र गुरदयाल सिह जाति कुम्हार निवासी मोरजण्ड सिखान को संलग्न घराघरू 10 रूपये के स्टाम्प पर तबादलानामा अनुसार बढा हुआ रकबा प्राप्त हो रहा है।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/764 दिनांक 18.03.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....X....मुब्लिक....X....बाबत..150..खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..X..को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..17.4.2025..............को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner